

**राजस्थान सरकार**  
**मंत्रिमण्डल सचिवालय**

क्रमांक: प.11(3)मं/ 2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 29 अक्टूबर, 2014

**विज्ञप्ति**

शासन कार्य नियमावली के नियम-5 के अनुसरण में राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने, मुख्यमंत्री के परामर्श से, इस सचिवालय की समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 28.10.2014 के क्रम में विभागों का संशोधित पुनर्वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री को उनके नाम के नीचे अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है:-

**1. श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री**

- (i) कार्मिक विभाग
- (ii) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो
- (iii) वित्त विभाग
- (iv) कराधान विभाग
- (v) आबकारी विभाग
- (vi) आयोजना विभाग
- (vii) आयोजना (जन शक्ति और गजेटियर्स) विभाग
- (viii) सांख्यिकी विभाग
- (ix) मंत्रिमण्डल सचिवालय
- (x) नीति आयोजना प्रकोष्ठ—मुख्यमंत्री सचिवालय
- (xi) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
- (xii) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
- (xiii) ऊर्जा विभाग
- (xiv) जन अभियोग निराकरण विभाग
- (xv) प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग

**2. श्री गुलाब चन्द कटारिया, मंत्री**

- (i) गृह और न्याय विभाग
- (ii) गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
- (iii) जेल विभाग
- (iv) आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग

**3. श्री नन्द लाल मीणा, मंत्री**

- (i) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

**4. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, मंत्री**

- (i) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
- (ii) चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं (ESI) विभाग
- (iii) चिकित्सा शिक्षा विभाग
- (iv) आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति
- (v) विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय
- (vi) संसदीय मामलात विभाग
- (vii) निर्वाचन विभाग
- (viii) वक्फ विभाग

**5. श्री कालीचरण सर्वाप, मंत्री**

- (i) तकनीकी शिक्षा विभाग
- (ii) उच्च शिक्षा विभाग
- (iii) संस्कृत शिक्षा विभाग
- (iv) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- (v) सैनिक कल्याण विभाग

अक्टूबर  
29/10/14

6.	श्री प्रभू लाल सैनी,	मंत्री
(i)	कृषि विभाग (कृषि विपणन सहित)	
(ii)	उद्यानिकी विभाग	
(iii)	पशुपालन विभाग	
(iv)	मत्स्य विभाग	
(v)	गौपालन विभाग	
7.	श्री गजेन्द्र सिंह खिंवसर,	मंत्री
(i)	उद्योग विभाग	
(ii)	अप्रवासी भारतीय विभाग	
(iii)	राजकीय उपक्रम विभाग	
(iv)	DMIC	
(v)	युवा मामले और खेल विभाग	
8.	श्री यूनुस खान,	मंत्री
(i)	सार्वजनिक निर्माण विभाग	
(ii)	परिवहन विभाग	
9.	श्री सुरेन्द्र गोयल,	मंत्री
(i)	पंचायतीराज विभाग	
(ii)	ग्रामीण विकास विभाग	
10.	श्री राजपाल सिंह शेखावत,	मंत्री
(i)	स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	
11.	डॉ. रामप्रताप,	मंत्री
(i)	जल संसाधन विभाग	
(ii)	इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	
(iii)	कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास और जल उपयोगिता विभाग	
12.	श्रीमती किरण माहेश्वरी,	मंत्री
(i)	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	
(ii)	भू-जल विभाग	
13.	श्री अरूण चतुर्वेदी,	मंत्री
(i)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	
(ii)	अल्पसंख्यक मामलात	
(iii)	राजस्थान राज्य मोटर गैराज विभाग	
(iv)	सामान्य प्रशासन विभाग	
(v)	सम्पदा विभाग	
(vi)	मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग	
14.	श्री हेम सिंह भड़ाना,	मंत्री
(i)	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	
(ii)	उपभोक्ता मामले विभाग	
15.	श्री अजय सिंह,	राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(i)	सहकारिता विभाग	
16.	श्री अमरा राम,	राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(i)	राजस्व विभाग	
(ii)	उपनिवेशन विभाग	
(iii)	पुनर्वास विभाग	
(iv)	देवस्थान विभाग	
17.	श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा),	राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(i)	कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग	
(ii)	पर्यटन विभाग	
(iii)	नागरिक उड्डयन विभाग	

29/IX/2014  
29/IX/2014

18. श्री वासुदेव देवनानी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

- (i) शिक्षा विभाग (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा)
- (ii) भाषा विभाग

19. श्री राज कुमार रिणवा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

- (i) खान विभाग
- (ii) वन विभाग
- (iii) पर्यावरण विभाग

20. श्रीमती अनिता भद्रेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

- (i) महिला एवं बाल विकास विभाग

21. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

- (i) श्रम विभाग
- (ii) नियोजन विभाग
- (iii) कारखाना और बायलर्स निरीक्षण विभाग

22. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री

- (i) ऊर्जा विभाग

23. श्री बाबूलाल वर्मा, राज्यमंत्री

- (i) परिवहन विभाग

24. श्री जीतमल खाँट, राज्यमंत्री

- (i) सामान्य प्रशासन विभाग
- (ii) सम्पदा विभाग
- (iii) राजस्थान राज्य मोटर गैराज विभाग
- (iv) मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग

25. श्री अर्जुनलाल, राज्यमंत्री

- (i) विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय
- (ii) संसदीय मामलात विभाग
- (iii) निर्वाचन विभाग

26. श्री ओटाराम, राज्यमंत्री

- (i) गौपालन विभाग
- (ii) देवस्थान विभाग

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अवितरित विभागों का कार्य मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

  
(अर्जुन लाल कुमार सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान
3. मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।

8. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर्स।
9. समस्त विभागाध्यक्षगण।
10. विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री।
11. विशिष्ट सहायक / निज सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री / संसदीय सचिव।
12. सचिवालय के समस्त विभाग एवं शाखाएं।
13. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर के दिनांक 29.10.2014 के विशेषांक में प्रकाशनार्थ। विशेषांक की 50 प्रतियां शीघ्र भिजवायी जावे।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान।
15. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।

दीपाली 29/10/14  
वरिं शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

दीपाली 29/10/14  
वरिं शासन उप सचिव